भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2037

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशक्त व्यक्तियों के आंकड़ों का संग्रहण

2037. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 2011 की जनगणना, नि:शक्त जनसंख्या की पहचान 2.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5), जिसमें इसके 4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, के अनुमानों में असमानता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 31 के अनुपालन में अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, अनुसंधान अध्ययनों और प्रतिवेदनों में 21+ मान्यता प्राप्त नि:शक्त व्यक्तियों वाले सभी व्यक्तियों को शामिल करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक आंकड़ों का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एमओएसजेई का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) देश में नि:शक्त व्यक्तियों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए जनगणना 2011 पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में, 121 करोड़ आबादी में से, दिव्यांगजन की अनुमानित संख्या 2.68 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है.

जनगणना 2011 के अनुसार, दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार, दिव्यांगजन आबादी का ब्यौरा निम्नानुसार है

दिव्यांगजन की श्रेणी वार संख्या	
दिव्यांगता का प्रकार	**व्यक्तियों की संख्या**
दिव्यांगजनों की कुल संख्या	2,68,14,994
दृष्टिबाधिता संबंधी	50,33,431
श्रवणबाधिता संबंधी	50,72,914
बोलने संबंधी	19,98,692
चलने-फिरने संबंधी	54,36,826
मानसिक मंदता	15,05,964
मानसिक रोग	7,22,880
अन्य किसी प्रकार की दिव्यांगता	49,27,589
एकाधिक दिव्यांगता	21,16,698

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला एक एकीकृत सर्वेक्षण है, के फोकस के मुख्य क्षेत्र मातृ एवं बाल स्वास्थ्य तथा अन्य संबद्ध क्षेत्र हैं।

दिव्यांगजन के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के अनुसार, 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं हैं। डीईपीडब्ल्यूडी ने देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगजन आईडी (यूडीआईडी) उप-योजना शुरू की है। यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने की प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को प्रोत्साहित करना है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, परियोजना के शुभारंभ के बाद से लगभग 1.15 करोड़ यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। आने वाले समय में, यूडीआईडी डाटाबेस का उपयोग, देश में नि:शक्त व्यक्तियों की जनसंख्या का अनुमान का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में किया जा सकेगा।

*****